प्रश्न - उत्तर

केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही क्यों शुरू की?

• केयर्न 2014 से भारत सरकार के साथ विवादों में है, जब भारतीय आयकर विभाग (IITD) ने एक नोटिस जारी कर कहा था कि उनका ये मानना है कि, 2006 में जब ग्रुप के रीआर्गेनाईजेशन के दौरान केयर्न इंडिया को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अलग से सूचीबद्ध किया जा रहा था, तब कुछ आय कर के मूल्यांकन से बच गई थी। आईआईटीडी ने केयर्न इंडिया लिमिटेड में 10% शेयरधारिता को अटैच किया, जिसका मूल्य उस समय लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून के तहत बाद में टैक्स की मांग कर दी।

• केयर्न ने बाद में यूके-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत विवाद की एक सूचना दर्ज की, ताकि इस आधार पर अपनी कानूनी स्थिति और शेयरधारक हितों की रक्षा हो सके, कि उस समय व्यापक सलाह लेने के बाद, कंपनी ने भारत में (या अन्य जगहों पर) अपने सभी कर और नियामक दायित्वों का अनुपालन किया और वो रीआर्गेनाईजेशन के लिए भारत में किसी भी कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

वर्तमान स्थिति क्या है?

• केयर्न ने मार्च 2015 में यूके-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। मध्यस्थता (संधि विवाद समाधान की सहमति विधि) निर्धारित करेगी कि क्या भारत ने 2006 में किए गए एक आंतरिक कॉर्पोरेट पुन: संगठन के लिए नए अधिनियमित कर रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करने में केयर्न के निवेशों की रक्षा के लिए संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

• मेरिट सुनवाई 20-31 अगस्त 2018 को हेग में हुई, फिर दिसंबर 2018 में पेरिस में अंतिम सुनवाई हुई। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 22 दिसंबर 2020 को एक अवॉर्ड जारी किया।

केयर्न एनर्जी क्या मांग रही है?

• केयर्न यूएस $ 1.4 बिलियन से अधिक के नुकसान के लिए पूर्ण भरपाई की मांग कर रहा है जो निम्न कारणों से हुआ: 2014 में भारत में इसके निवेश की समाप्ति; रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उपायों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास; और कंपनी और उसके निवेश के साथ उचित और समान रूप का व्यवहार करने में विफलता।

• केयर्न को संधि के तहत अपने कानूनी मामले में उच्च स्तर का विश्वास है, और पूर्वव्यापी कर विवाद के समाधान के अलावा, इसका दावा सीआईएल में समूह के अवशिष्ट हिस्सेदारी के मूल्य के बराबर नुकसान की मांग करता है जो 2014 में अटैच्ड था, इसके अलावा और संपत्ति जब्त की, जो कुल मिला कर लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

क्या मध्यस्थता के परिणाम की अपील की जा सकती है?

• संधि में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और पक्षकार अवार्ड की शर्तों का सम्मान करेंगे और उनका पालन करेंगे।

• केयर्न एनर्जी चाहती है कि सभी पार्टियां जो भी परिणाम हों, उस अवार्ड को स्वीकार करें।

मूल भारत व्यवसाय में हिस्सेदारी की स्थिति क्या है?

• केयर्न 2014 के बाद से, वेदांता लिमिटेड (वीएल) (मूल रूप से एक ~ 5% शेयरधारिता) में अपने शेयरहोल्डिंग में मूल्य का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और आईआईटीडी टैक्स डिमांड को आगे बढ़ाने और शेयर होल्डिंग को बेचने के लिए लगातार प्रयासरत है।

• लगभग सभी शेयरों को अब लाभांश, टैक्स रिफंड और शेयर बिक्री के माध्यम से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ बेचा गया है।

Sensitivity: Internal (C3)